RNI NO. 45823/1986 REGISTRATION NO. DL(DS)-02/MP/2025-26-27, DL(ND)-11/6042/2024-25-26; LICENSED TO POST WPP NO U(C)-31/2024-26; FARIDABAD/46/2023-25 www.indiatodayhindi.com

उत्तर प्रदेश: तवज्जो को तरस रही है उर्दू

अपराध: साइबर गुलामी को मजबूर भारतीय

इंडिया टुडे

60 रुपए

12 मार्च, 2025

लिवर की बीमारी

छुपा हुआ खतरा

देश में शराब न पीने वालों को भी फैटी लीवर की शिकायत महामारी जैसी विकराल हुई. दस में से तीन वयस्क और बच्चे हैं इसके शिकार. इस जानलेवा बीमारी से बचाव और इलाज के लिए क्या कर सकते हैं

OC

आगामी सप्ताह के लिए प्रत्येक शनिवार को प्रकाशित; एलपीसी दिल्ली-आरएमएस-दिल्ली-110006 से प्रत्येक शनिवार और सोमवार को प्रेषित; कुल पन्नों की संख्या 52 (आवरण सहित) वर्ष 39; अंक 15

CamScanner

होना चाहिए. यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा जाएगा कि गांवों के आसपास पर्याप्त भूमि छोड़ी जाए ताकि स्थानीय समुदाय को पशुओं के लिए चारा या फिर जलावन के लिए लकड़ी जुटाने में कोई दिक्कत न आए.

वन नीति में सामुदायिक अधिकारों की रक्षा के लिए स्थानीय सहमति तैयार करने का दावा किया गया है. मगर सामाजिक कार्यकर्ता चिंतित हैं. विकास संवाद के संस्थापक और सामाजिक कार्यकर्ता सचिन जैन आगाह करते हैं, ''जैसे ही कोई निजी कंपनी इसमें शामिल होगी, वह अपने हितों की रक्षा करेगी. इसका मतलब है कि वह स्थानीय समुदाय को जलावन के लिए लकड़ी एकत्र करने या मवेशियों को चराने के लिए बेरोकटोक आने-जाने नहीं देगी. आदिवासी क्षेत्रों में पारंपरिक वन अधिकार सीधे आस्था से जुड़े हैं, वहां निजी हितों के साथ टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है.''

इसमें स्वामित्व में संरचनागत बदलाव तय हैं. निवेशकों को तेंदूपत्ता, महुआ और चिरौंजी सरीखे लघु वन उपज (एमएफपी) का आधा हिस्सा बेचने का अधिकार होगा जबकि 30 फीसद हिस्सा एमपीएफडीसी और 20 फीसद स्थानीय समुदाय के लिए छोड़ा जाएगा. अभी पूरी लघु वन उपज पर वनों और उसके आसपास रहने वाले समुदायों का अधिकार है. एमपीएफडीसी को मिलने वाली एमएफपी को खरीदने का पहला अधिकार निवेशक को होगा. वन संरक्षण संशोधित अधिनियम, 2023 के तहत वनरोपण के लिए निवेशक को ग्रीन क्रेडिट दिया जाएगा.

कागज पर ही सही, वनरोपण के मानदंड तर्कसंगत बनाए गए हैं. वनरोपण में स्थानीय पौधों की प्रजातियों को वरीयता दी जाएगी और विदेशी प्रजातियां लगाने की अनुमति नहीं होगी. तीन साल बाद पौधों के जीवित रहने की दर 75 फीसद सुनिश्चित करनी होगी. अगर यह दर इससे कम होती है तो क्रियान्वयन एजेंसी को अंतर पाटना होगा. यह दर 40 फीसद से नीचे आती है और वृक्षारोपण का कार्य एमपीएफडीसी ने किया है तो उसकी पूरी लागत निवेशक को लौटा दी जाएगी. अहम बात यह कि तीन वर्षों के बाद वृक्षारोपण की सुरक्षा की जिम्मेदारी निवेशक की होगी.

जैन का कहना है कि निजी निवेशकों को लाने के बजाए समुदाय को ही वनों पर अधिक अधिकार देना उनकी सुरक्षा के लिए काफी होता. वे आगाह कहते हैं, ''सरकार को इस मोर्चे पर कोई भी कदम बहुत सोच-समझकर उठाना चाहिए.'' ■

एएनआइ

गुस्सा एडवोकेट एक्ट में संशोधन के मसले पर रांची में 21 फरवरी को प्रदर्शन करते एडवोकेट

एडवोकेट ऐक्ट में संशोधन

एक कदम पीछे हटी सरकार

मनीष दीक्षित

फरवरी की 13 तारीख के बाद देशभर के वकीलों में बहुत ज्यादा बेचैनी और आंदोलन की खदबदाहट दिख रही थी. सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने में जुट गई थी. दिल्ली समेत देश के कुछ हिस्सों में धरना-प्रदर्शन शुरू हो गया था और इसकी वजह थे एडवोकेट (संशोधन) ऐक्ट 2025 के मसौदे में लिखे गए विवादित प्रावधान. इन प्रावधानों में वकीलों को आंदोलन या काम बंद हड़ताल की इजाजत न होना, केस हारने पर मुवक्किल को शिकायत का अधिकार, वकीलों को एक ही बार एसोसिएशन में वोट क[...] बार काउंसिल ऑफ इंडिया में [...] प्रतिनिधि शामिल करने की व्[...] थी (देखें:बदलाव के विवादित [...]).

दरअसल, 13 फरवरी को विधि और न्याय मंत्रालय की वेबसाइट पर डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स ने एडवोकेट (संशोधन) बिल 2025 का मसौदा लोगों की राय जानने के लिए डाला. नए दौर की जरूरतों के मुताबिक, वकालत या विधि व्यवसाय और कानून की पढ़ाई में बदलाव करना इस मसौदे का लक्ष्य था. मगर, वकीलों को ये बदलाव रास नहीं आए और उनकी तीखी प्रक्रिया सामने आई. वकीलों ने देश के अनेक हिस्सों में इस मसौदे के खिलाफ प्रदर्शन किए. दिल्ली में निचली अदालतों की बार एसोसिएशन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की अगुवाई में आंदोलन हुआ. कमेटी के चेयरमैन जगदीप वत्स ने बताया, ''संशोधनों के बारे में हमारी राय नहीं ली गई. हमने केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल से मुलाकात की और उन्हें अपनी चिंताएं बताईं.'' वकीलों की नाराजगी का यह असर हुआ कि 22 फरवरी को सरकार ने संशोधन विधेयक का यह मसौदा वापस ले लिया. साथ ही सरकार की तरफ से बताया गया कि एडवोकेट (संशोधित) बिल 2025 का मसौदा अब संशोधित कर फिर से जनता

CamScanner

की राय के लिए लाया जाएगा. जाने-माने वकील और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने विधेयक का मसौदा वापस लेने पर कानून मंत्री की प्रशंसा की, लेकिन उनकी चिंताएं कहीं गहरी थीं.

तन्खा ने *इंडिया टुडे* से कहा, ''देश में जो हालात बन गए हैं, उसमें विरोध का अधिकार छीन लिया जाएगा तो हम न्याय की लड़ाई कैसे लड़ेंगे. हालांकि मैं खुद काम ठप करने के पक्ष में नहीं हूं लेकिन हड़ताल के अधिकार को खत्म करना अनुचित है. वकीलों के एसोसिएशन में सरकारी प्रतिनिधियों की नियुक्ति नाहक दखलअंदाजी है. इसमें सरकारी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं है. बार काउंसिल की भूमिका विधि अध्ययन में खत्म की जा रही है जो ठीक नहीं है. मसौदा वापस लेना इसे रद्द करने के बराबर है.''

विधेयक का मसौदा वापस लेने के बाद भारत में विधि व्यवसाय और कानून की पढ़ाई का नियमन करने वाली संस्था बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआइ) के चेयरमैन मनन कुमार मिश्र ने बयान जारी कर कहा कि ी चिंताओं और सुझावों के आधार लय मसौदा दोबारा जारी करेगा. कीलों की चिंताओं से कानून को अवगत करा दिया है. कानून ा दिलाया है कि बिल के मसौदे को आतम रूप देने से पहले सभी विवादास्पद पहलुओं पर विचार कर उनका समाधान किया जाएगा. बीसीआइ ने अपील की है कि सरकार के इस कदम के बाद वकीलों और बार एसोसिएशनों को हड़ताल और प्रदर्शन से दूर रहना चाहिए.

लेकिन सबसे ज्यादा चिंतित निचली अदालतों के वकील ही थे. वत्स कहते हैं, ''संशोधित ऐक्ट के मसौदे में अगर वकील कोई केस हार जाता है तो क्लाइंट को वकील के खिलाफ शिकायत करने का अधिकार दिया जा रहा था कि वकील ने ठीक से केस नहीं लड़ा. वकील के पास कोई पावर तो होती नहीं है कि वह जमानत दे सके या कोई ऑर्डर दे सके. क्लाइंट के खिलाफ ऑर्डर आ जाए तो मुसीबत वकील की हो जाती. यह बहुत घातक प्रावधान था. बार एसोसिएशन रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज ऐक्ट के तहत संचालित होती हैं. कार्य से विरत रहने को भी प्रोफेशनल मिस कंडक्ट में ला रहे थे.''

इसके अलावा नए मसौदे में हर पांच साल में दस्तावेजों के सत्यापन की बात कही गई थी. यह काफी संवेदनशील मुद्दा रहा है. मालूम हो कि जून 2015 के तत्कालीन कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को दिल्ली पुलिस ने फर्जी डिग्री लगाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था. वे दिल्ली बार काउंसिल के साथ पंजीकृत थे और गिरफ्तारी के बाद उनका पंजीकरण रद्द कर दिया गया था. तन्खा कहते हैं कि डिग्रियों का वेरिफिकेशन होना चाहिए ताकि फ्रॉड आदमी प्रैक्टिस नहीं करे. मगर वे कहते हैं कि इसका तरीका अलग होना चाहिए, यह कोई लाइसेंस नहीं है जिसे हर पांच साल में रिन्यू कराया जाए. वहीं वत्स का मानना है कि बार काउंसिल को लाइसेंस जारी करने से पहले ऐसा करना चाहिए. वकीलों का मानना है कि संशोधनों से वकीलों और उनकी संस्थाओं की स्वायत्तता खत्म होती है. बहरहाल, सरकार ने आनन-फानन विधेयक का मसौदा वापस लेकर वकीलों के एक बड़े आंदोलन को टालने में कामयाबी हासिल की है. देश में 25 लाख से ज्यादा वकील हैं और केवल दिल्ली में ही 1.60 लाख वकील हैं. सच यह है कि 90 फीसद वकील किसी तरह आजीविका चला रहे हैं. सरकार को चाहिए कि इनकी स्थिति सुधारने की कोई व्यवस्था की जाए. ■

बदलाव के विवादित बिंदु

परिभाषा: लीगल प्रैक्टिशनर की परिभाषा व्यापक की गई है, इसमें कॉर्पोरेट लॉयर, इन हाउस लॉयर, फॉरेन लॉयर या विधिक काम करने वालों को भी शामिल किया गया.

एनरोलमेंट: परीक्षा पास करने और बार से लाइसेंस लेने के साथ स्थानीय बार एसोसिएशन में भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा. एक ही जगह वोट दे सकेंगे. शहर बदलने पर 30 दिन के अंदर सूचना देनी होगी.

हड़ताल: हड़ताल के अधिकार में कटौती. प्रतीकात्मक या एक दिन का प्रदर्शन प्रशासनिक या अन्य मामले के लिए प्रदर्शन मान्य है. लेकिन कोर्ट का काम प्रभावित नहीं होना चाहिए. हड़ताल या न्यायिक काम का बहिष्कार कदाचार माना जाएगा.

सरकार का दखल: बार काउंसिल में मौजूदा सदस्यों के अलावा केंद्र सरकार के तीन सदस्य होंगे. सरकार डायरेक्शन दे सकती है.

सजा: किसी वकील को तीन साल की सजा में दोषी पाए जाने पर प्रैक्टिस से रोक. छूटने के दो साल के बाद प्रैक्टिस कर सकेगा.

वेरिफिकेशन: हर पांच साल में वकीलों के दस्तावेजों का वैरिफिकेशन होगा.

(ये प्रावधान एडवोकेट (संशोधन) ऐक्ट 2025 में संशोधन के मसौदे में थे. मसौदा केंद्र सरकार ने 22 फरवरी, 2025 को वापस ले लिया)

"मैं खुद काम ठप करने के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन हड़ताल करने के वकीलों के अधिकार को खत्म करना अनुचित है. वकीलों के संगठनों में सरकारी प्रतिनिधियों की नियुक्ति नाहक दखलंदाजी है. इसमें सरकारी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं है."

विवेक तन्खा

राज्यसभा सांसद और जाने-माने वकील

CamScanner